

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(31)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 15-04-2025

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय पोक्सो सं01, झालावाड़	श्री गिरिराज नागर (आर/1277/2005)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं01, झालावाड़
2	विशेष न्यायालय पोक्सो सं02, झालावाड़	श्री दीपेश भार्गव (आर/2529/2006)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं02, झालावाड़

निम्नांकित विशिष्ट लोक अभियोजक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री रामहेतार गुर्जर	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं01, झालावाड़

आज्ञा से

हो

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एन्रालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(31)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 15-04-2025

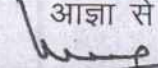
:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड़	श्री विनोद कुमार गोचर (आर/2389/2009)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झालावाड़
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, भवानीमण्डी जिला झालावाड़	श्री हेमराज शर्मा (आर/481/2000)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, भवानीमण्डी जिला झालावाड़

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

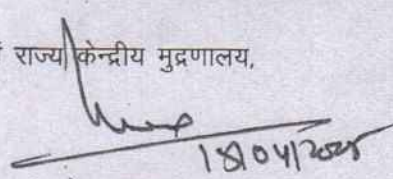
क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झालावाड़

आज्ञा से

15/04/2025
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।

- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि